(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट– बराटियॉ

ता मेवा गुर्जर
मैरुखेडा

बनाम

घीसा पिता रायमल गुर्जर
निवासी– अमरतियॉ

म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 ए रा.टी.ए. प्रकरण संख्या–245/2013

म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली आज केम्प कोर्ट बंराटियॉ पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गयी। वक्त बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के समय की है। जिस पर वादीगण पीडी दर पीडी काबिज काश्त चले आ रहे है। वादीगण के दादा लक्ष्मण पिता बख्तावर बचपन से ही अन्धे थे, तथा वादीगण के पिता मेवा नाबालिक थे, जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या–1 घीसा व प्रतिवादी संख्या– 2 से 9 के वली श्रीलाल पिता भागीरथ ने नाजायज फायदा उठाकर कूटरचित दस्तावेजात से वादग्रस्त भूमि को अपने नाम पर दर्ज करवा ली। वकील वादी का बहस में यह भी कथन कि था कि प्रतिवादी संख्या–1 घीसा ने तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 01.02.1971 का तथा श्रीलाल ने विक्रय पत्र दिनांक 25.01.1972 का बताते हुये 6–7 वर्षो के बाद पटवारी हल्का से मिलकर नामान्तकरण संख्या– 72 व 73 भरवा लिया , जिसको तहसीलदार हुरडा के द्वारा दिनांक 19.10.1977 को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद पुनः पटवारी से मिलकर नामान्तकरण संख्या– 115 व 116 दिनांक 10.11.1977 को भरवा लिया। जिस पर नायब तहसीलदार हुरडा के द्वारा नामान्तकरण निर्णित करते समय प्रतिवादी संख्या–1 घीसा व श्रीलाल को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, तो श्रीराम व श्रीलाल ने दस्तावेज नही होना जाहिर किया। जिस पर नायब तहसीलदार हुरडा के द्वारा उक्त नामान्तकरण को दिनांक 14.12.1978 को खारिज कर दिये गये थे। नामान्तकरण संख्या– 72, 73, 115, 116 खारिज होने के उपरान्त भी तिसरी बार नामान्तकरण संख्या– 148, 149 दिनांक 09.03.1979 को दाखिल करवा गया। जिसको ग्राम पंचायत से दिनांक 14.06.1979 को निर्णित करवा	

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनी होती है किन्तु इस प्रकरण में बार बार नामान्तकरण खोलनी की कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या– 1 घीसा व प्रतिवादी संख्या– 2 से 9 के वली श्रीलाल के द्वारा गलत व झूठे खत के आधार पर ग्राम पंचायत से मिलकर नामान्तकरण अपने पक्ष में निर्णित कराकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नही था। इसलिये उनका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादीगण अपने नाम दर्ज करवाने के अधिकारी होने से दावा वादी स्वीकार फरमाया जावें।

जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि लक्ष्मण पिता बख्तावर के खातेदारी की भूमि थी, जिसको प्रतिवादी संख्या–1 घीसा व प्रतिवादी संख्या– 2 से 9 के पूर्वज श्रीलाल ने जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। प्रतिवादीगण ने कोई कूट रचित दस्तावेजात तैयार करवा कर राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज नही करवाया है। बल्कि पूर्व खातेदार लक्ष्मण ने प्रतिफल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या–1 घीसा को साबिक आराजी नम्बर– 319 में से 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि 600/– रु. में विक्रय कर दिनांक 15.02.1971 को विक्रय कर विक्रय पत्र निष्पादित करवाया तथा श्रीलाल को आराजी नम्बर– 319 का शेष रकबा व आराजी नम्बर– 329 को 1000/– रु. में विक्रय कर दिनांक 09.02.1972 को विक्रय पत्र रजिस्ट्रर्ड करवाया गया, इस प्रकार नामान्तकरण कार्यवाही पूर्ण रुप से सही व विधि सम्वत् ढंग से की गई है। अन्त में कथन किया कि वादीगण ने मिथ्या व आधार हीन तथ्यों पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

मैंने उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है।

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत महकमें बन्दोबस्त राज्य मेवाड उदयपुर की जमाबन्दी साल 1982 मौजा अमरतिया तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर– 319 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा आराजी नम्बर– 329 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि हुक्मा वल्द बख्तावर गुर्जर साकिन भैरुखेडा के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। पत्रावली पर उपलब्ध भू– प्रबन्धक

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

(सेटलमेन्ट) विभाग के खसरा सम्वत् 2020 मौजा अमरतिया के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 329 , 319 के नये नम्बर– 333 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा तथा साबिक नम्बर– 319 मी. के नये नम्बर– 340 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा भूमि बनाये जाना स्पष्ट हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध नामान्तकरण संख्या– 12/1 निर्णय दिनांक 11.03.1976 के अनुसार उक्त भूमि में अरवड बांध के डूब में तथा सेटलमेन्ट के दौरान पेटा होने से बिलानाम दर्ज करली गई थी। परन्तु भूमि पर कब्जा सम्बन्धित व्यक्तियों का होने से तथा राज्य सरकार ने भी ऐसे डूब की भूमि के खातेदारी अधिकार रेस्टोर कर दिये जाने से नामान्तकरण संख्या– 16/1 से आराजी नम्बर– 333 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा तथा आराजी नम्बर– 340 रकबा 08 बीघा 01 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 17 बीघा 12 बिस्वा भूमि लक्ष्मण पिता बख्तावर गुर्जर के नाम दिनांक 11.03.1976 को निर्णित किया जाना प्रकट आया है।

यहाँ वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या– 1 घीसा तथा प्रतिवादी संख्या– 2 से 9 के वली श्रीलाल ने तथाकथित गलत व कूटरचित विक्रय पत्र से पटवारी हल्का से मिलकर तीन–तीन बार नामान्तकरण भरवा लिये अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा नामान्तकरण संख्या– 72, 73, 115, 116, 148, 149 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई, जिनका अवलोकन किया गया, नामान्तकरण संख्या– 72 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का के द्वारा श्रीलाल पिता भागीरथ ब्राह्मण के पक्ष में तथा नामान्तकरण संख्या– 73 रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र के आधार पर श्रीलाल व घीसा गुर्जर के पक्ष में खोला गया था, जिसे तत्कालीन राजस्व अधिकारी द्वारा फ्रेगमेन्ट का मामला मानते हुये, दिनांक 19.10.1977 को खारिज किया जाना प्रकट आया है। इसके पश्चात इन्ही विक्रय पत्रों के आधार पर पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तकरण संख्या– 115, 116 श्रीलाल व घीसा गुर्जर के पक्ष में भरे गये थे, जिन्हें राजस्व अधिकारियों ने भूमि के क्रेताओं के द्वारा विक्रय पत्र पेश नही करने से खारिज कर दिया जाना प्रकट आया है। इसके पश्चात इन्ही रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या– 148, 149 पटवारी हल्का के द्वारा श्रीलाल व घीसा गुर्जर के पक्ष में खोला जाकर न्यायालय ग्राम पंचायत बराठिया के समक्ष पेश करने से ग्राम पंचायत के द्वारा दिनांक 14.06.1979 को निर्णित किया

है और यदि कोई पक्षकार नामान्तकरण की कार्यवाही से सन्तुष्ट नही हो तो उसे नियमानुसार नामान्तकरण की अपील की जाकर दादरसी प्राप्त करनी होती है। वकील वादी का उक्त कथन उचित व विधि सम्वत है। चूँकि प्रकरण में जो नामान्तकरण संख्या– 72, 73, 115, 116 खोले गये है वह एक ही पटवारी के द्वारा भरे गये है तथा एक ही अधिकारी के द्वारा निर्णित किये गये है, इसमें भूमि के क्रेता का कोई दोष नही है कोई गलती नही है गलती राजस्व कर्मचारी व अधिकारी की है। उन्हें चाहिये था कि यह दूबारा नामान्तकरण नही खालते । तीसरी बार जो नामान्तकरण पटवारी के द्वारा भरा गया उसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया है तथा भूमि का अपखण्ड नही होना भी अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है। **(हांलाकि फ्रेगमेन्ट 11.11.1992 को राज्य सरकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है)** जिसे समक्ष न्यायालय द्वारा 14.06.1979 को निर्णित किया गया है। जिसे लगभग 39 वर्ष हो चूके है। ऐसी स्थिति में विक्रय पत्रों को वादीगण के हको पर शून्य व अवैध घोषित करने का कोई युक्ति युक्त कारण नही होने से दावा वादी खारिज योग्य है।

"निर्णय"

दावा खारिज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा